रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062022-236588 CG-DL-E-15062022-236588

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305]

No. 3051

नई दिल्ली, मंगलवार , जून 14, 2022/ज्येष्ठ 24, 1944 NEW DELHI TUESDAY, JUNE 14, 2022/JYAISTHA 24, 1944

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2022

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) (संशोधन) विनियम, 2022

- सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.087 भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, 217, 218, 219 और 220 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातु: -
- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) (संशोधन) विनियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियम, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मुल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,
 - (i) खंड (ञ) में, "अभिप्रेत है ।" शब्दों के स्थान पर "अभिप्रेत है; और" शब्द रखे जाएंगे;

4030 GI/2022 (1)

- (ii) खंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(ट) "हितधारक" से भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) विनियम, 2017 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ञ) में यथा-परिभाषित हितधारक अभिप्रेत है।"
- 3. मुल विनियमों में, "ग्राहकों" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "हितधारकों" शब्द रखा जाएगा।
- 4. मूल विनियमों के विनियम 10 में,-
 - (i) उप-विनियम (1) में, "प्रारूप अन्वेषण रिपोर्ट की एक प्रति" शब्दों के स्थान पर "अन्वेषण रिपोर्ट" शब्द रखे जाएंगे:
 - (ii) उप-विनियम (2) में, "प्रारूप" शब्द का, जहां जहां वह आता है, लोप किया जाएगा ।
- 5. मूल विनियमों में, अध्याय 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"अध्याय 3-क

परिवाद या शिकायत के निपटान के दौरान अन्वेषण

10क. परिवाद या शिकायत के निपटान के दौरान अन्वेषण

अध्याय 3 में किसी बात के होते हुए भी, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) विनियम, 2017 के अधीन किसी परिवाद या शिकायत या अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के प्रक्रमण से इस विनियम के अधीन अन्वेषण अभिप्रेत होगा और ऐसी दशा में, प्रक्रमण कागज़पत्रों से विनियम 10 के अधीन अन्वेषण रिपोर्ट अभिप्रेत होगा:

परन्तु इस विनियम में की कोई बात बोर्ड को, अध्याय 2 के अधीन कोई निरीक्षण प्राधिकारी या अध्याय 3 के अधीन कोई अन्वेषक प्राधिकारी नियुक्त करने से निर्बंधित नहीं करेगी।

अध्याय 3-ख

अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अंतरिम आदेश

10ख. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अंतरिम आदेश

- (1) यदि बोर्ड का, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि सेवा प्रदाता द्वारा संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों का कोई प्रथमदृष्टया अतिक्रमण किया गया है और धारा 220 की उपधारा (2) के अधीन कोई तुरंत कार्रवाई की जानी आवश्यक है तो बोर्ड मामले को उचित कार्रवाई के लिए अनुशासनिक समिति को निर्देशित करेगा।
- (2) अनुशासनिक समिति, उप-विनियम (1) के अधीन निर्देशित मामले पर विचार करने के पश्चात्, उचित निदेशों के साथ अंतरिम आदेश पारित कर सकेगी ।
- (3) उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट अंतरिम आदेश, आदेश की तारीख से 90 दिन के अवसान पर व्यपगत हो जाएगा।"
- 6. मूल विनियमों के विनियम 11 के उप-विनियम (2) में, "उप-विनियम (1) के अधीन रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्" शब्दों के पश्चात् "या अभिलेख पर अन्यथा उपलब्ध सामग्री के आधार पर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- 7. मूल विनियमों के विनियम 12 के उप-विनियम (1) में
 - (i) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

- "(घ) अभिकथित रूप से अतिक्रमण किए गए संहिता के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का या उस रीति का, जिसमें लोक हित पर अभिकथित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;"।
- (ii) खंड (ङ) में, "और" शब्द का लोप किया जाएगा।
- (iii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
 - "(छ) इस रीति का, जिसमें सेवा प्रदाता से कारण बताओं सूचना का प्रत्युत्तर देने की अपेक्षा है; और
 - (ज) कारण बताओ सुचना का प्रत्युत्तर देने में असफल होने के परिणामों का"
- 8. मूल विनियमों के विनियम 12 के उप-विनियम (3) में, "कम से कम 21" शब्दों के स्थान पर "पन्द्रह" शब्द रखा जाएगा ।
- 9. मूल विनियमों के विनियम 12 में, उप-विनियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(6) कारण बताओं सूचना की सेवा प्रदाता को तामील इलैक्ट्रानिक रूप में सेवा प्रदाता द्वारा बोर्ड को दिए गए ईमेल पते पर की जाएगी और एक प्रति रजिस्ट्री डाक द्वारा भी भेजी जाएगी।"
- 10. मूल विनियमों के विनियम 13 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(2) अनुशासनिक समिति, कारण बताओ सूचना जारी किए जाने की तारीख से पैंतीस दिन की अवधि के भीतर कारण बताओ सूचना का निपटारा करने का प्रयत्न करेगी।"
- 11. मूल विनियमों के विनियम 13 के उप-विनियम (3) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(खक) किसी दिवाला व्यावसायिक के असाइनमेंट के लिए प्राधिकार-पत्र का निलंबन या रद्दकरण"
- 12. मूल विनियमों के विनियम 13 में, उप-विनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थातु:-
- "(5) उप-विनियम (1) के अधीन पारित आदेश की सेवा प्रदाता पर तामील किसी इलैक्ट्रानिक रूप में की जाएगी और उसे बोर्ड की वैबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा:

परन्तु जहां सेवा प्रदाता एक दिवाला व्यावसायिक है वहां आदेश की प्रति उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को भेजी जाएगी, जिसका वह व्यावसायिक सदस्य है।"

- 13. मूल विनियमों के विनियम 13 में, उप-विनियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम रखे जाएंगे, अर्थातु:-
 - "(6) अनुशासनिक समिति, उप-विनियम (1) के अधीन पारित आदेश में, सेवा प्रदाता से,
 - (क) लंबित बाध्यताओं का, यदि कोई हैं, निर्वहन करने;
 - (ख) उस समय तक, जो वह निदिष्ट करे, केवल हितधारकों को किसी अन्य सेवा प्रदाता में अंतरित होने में समर्थ करने के लिए, अपने कृत्य जारी रखने; और
 - (ग) किन्हीं अन्य निदेशों का अनुपालन करने,

की अपेक्षा करेगी।

(7) ऐसी दशा में, जहां सेवा प्रदाता एक दिवाला व्यावसायिक है वहां बोर्ड आदेश की सूचना, उन दिवाला समाधान प्रक्रियाओं की, जिनमें वह यथास्थाति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य कर रहा है. लेनदारों की समिति के सभी सदस्यों और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को देगा।"

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./124/2022-23]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 239, तारीख 12 जून, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.011 द्वारा तारीख 12 जून, 2017 को प्रकाशित किए गए थे।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2022

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) (Amendment) Regulations, 2022

- **No. IBBI/2022-23/GN/REG087.-** In exercise of the powers conferred under sections 196, 217, 218, 219, 220 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) Regulations, 2017, namely: -
- 1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) (Amendment) Regulations, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 2, in sub-regulation (1),
 - (i) in clause (i), the word "and" shall be omitted.
 - (ii) in clause (j), after the word "information utility" the mark "." shall be replaced with mark and word "; and".
 - (iii) after clause (j), the following clause shall be inserted, namely: -
 - "(k) "stakeholder" means a stakeholder as defined in clause (j) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Grievance and Complaint Handling Procedure) Regulations, 2017."
- 3. In the principal regulations, for the word "clients", wherever it occurs, the word "stakeholders" shall be substituted.
- 4. In the principal regulations, in regulation 10,
 - (i) in sub-regulation (1), for the words "a copy of the draft investigation report" the words "the investigation report" shall be substituted;
 - (ii) in sub-regulation (2) the word "draft" wherever it occurs shall be omitted.
- 5. In the principal regulations, after CHAPTER III, the following chapters shall be inserted, namely: -

"CHAPTER III-A

INVESTIGATION DURING DISPOSAL OF COMPLAINT OR GRIEVANCE

10A. Investigation during disposal of complaint or grievance.

Notwithstanding anything contained in Chapter III, the processing of a complaint or grievance or material available on record under the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Grievance and Complaint Handling Procedure) Regulations, 2017, shall mean investigation under this regulation and in such case the processing papers shall mean the investigation report under regulation 10:

Provided that nothing in this regulation shall restrict the Board to appoint an inspecting authority under Chapter-II or an investigating authority under Chapter-III."

CHAPTER III-B

INTERIM ORDER ON MATERIAL AVAILABLE ON RECORD

10B. Interim order on material available on record.

- (1) If based on material available on record, the Board is satisfied that prima facie, there is a violation of the provisions of the Code or the rules or regulations made thereunder by the service provider, and an immediate action under sub-section (2) of section 220 is warranted, the Board shall refer the matter to the Disciplinary Committee for an appropriate action.
- (2) On consideration of the matter referred under sub-regulation (1), the Disciplinary Committee may pass an interim order with appropriate directions.
- (3) The interim order referred to sub-regulation (2) shall lapse on expiry of ninety days from the date of the order."
- 6. In the principal regulations, in regulation 11, in sub-regulation (2), after the words "sub-regulation (1)," the words, "or on the basis of material otherwise available on record" shall be inserted.
- 7. In the principal regulations, in regulation 12, in sub-regulation (1) -
 - (i) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely: -
 - "(d) the provisions of the Code, rules, regulations and guidelines thereunder allegedly violated, or the manner in which the public interest is allegedly affected;".
 - (ii) in clause (e), the word, "and" shall be omitted.
 - (iii) after clause (f), the following clauses shall be inserted, namely:-
 - "(g) the manner in which service provider is required to respond to the show cause notice; and
 - (h) consequences of failure to respond to the show-cause notice."
- 8. In the principal regulations, in regulation 12, in sub-regulation (3) for the words and figures "at least 21", the words "fifteen" shall be substituted.
- 9. In the principal regulations, in regulation 12, for sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be substituted, namely:
 - "(6) A show-cause notice shall be served on the service provider in electronic form at the email address provided by the service provider to the Board and a copy shall also be sent by registered post."
- 10. In the principal regulations, in regulation 13, for sub-regulation (2), the following shall be substituted:
 - "(2) The Disciplinary Committee shall endeavour to dispose of the show-cause notice within a period of thirty-five days of the date of the issuance of the show-cause notice."
- 11. In the principal regulations, in regulation 13, in sub-regulation (3), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely: -
 - "(ba) suspension or cancellation of authorisation for assignment of an insolvency professional;"
- 12. In the principal regulations, in regulation 13, for the sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be substituted, namely:
 - "(5) The order passed under sub-regulation (1) shall be served upon the service provider in an electronic form and be published on the website of the Board:

Provided that where the service provider is an insolvency professional, a copy of the order shall be sent to the insolvency professional agency of which he is a professional member."

- 13. In the principal regulations, in regulation 13, for the sub-regulation (6), the following sub-regulations shall be substituted, namely:
 - "(6) The Disciplinary Committee shall in the order passed under sub-regulation (1) require the service provider-
 - (a) to discharge pending obligations, if any;
 - (b) to continue its functions till such time as may be directed, only to enable stakeholders to shift to another service provider; and
 - (c) to comply with any other directions.

(7) In case where the service provider is an insolvency professional, the Board shall intimate the order to all the members of committee of creditors of the insolvency resolution processes in which he is acting as an interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, and to the Adjudicating Authority."

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./124/2022-23]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) Regulations, 2017 were published *vide* notification No. IBBI/2017-18/GN/REG011 on 12th June, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 239 dated 12th June, 2017.